न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर केंप भोपाल

नि0 -1632-PBR-16

आवेदक ....काशीराम आ0 हरलाल, उम्र 50 वर्ष

सा0 बज्ज़रवाड़ा, तह0 बाबई, जिला–होशंगाबाद

बनाम

अनावेदक ....रम्पी बाई / जोजे सीताराम, उम्र 55 वर्ष

सा0 बज्जरवाड़ा, तह0 बाबई, जिला–होशंगाबाद

संस्थित दिनांक 26.5.2016. रा.निग.क्रं. वर्ष 2015–16

जिला –होशंगाबाद मौजा – ग्राम बज्जरवाड़ा,तह.बाबई

228 6/16

आवेदन पत्र अर्न्तगत धारा 50 म0प्र0 भू.रा.सं.

आवेदक यह निगरानी याचिका माननीय तहसीलदार बाबई, जिला होशंगाबाद द्वारा राजस्व प्रकरण क्रं. 35अ/अ6अ वर्ष 2015–16 रम्पीबाई वि. काशीराम में पारित आदेश दिनांक 25.02.2016 से परिवेदित होकर आदेश की वैधता एवं नियमिता के परीक्षण हेतु निम्न लिखित आधारो पर प्रस्तुत कर न्यायहित में न्याय कि याचना करता है:–

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक **निगरानी** 1632–पीबीआर/16 जिला होशंगाबाद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29–6–2016	आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । तहसीलदार के आदेश दिनांक 25–2–2016 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि तहसीदार के समक्ष नामान्तरण संबंधी प्रकरण प्रचलित है और आवेदक की ओर से आवेदन पत्र प्रस्तुत कर इस आशय की आपत्ति प्रस्तुत की गई है कि पूर्व में प्रश्नाधीन भूमि का बटवारा हो चुका है, इसलिये पुनः बटवारा किया जाना न्यायसंगत नहीं होने से निरस्त किया जाये । इस संबंध में तहसीलदार द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया है कि आवेदक की ओर से प्रकरण को लंबित रखने के उद्देश्य से आवेदन प्रस्तुत किया गया है, अतः उक्त आपत्ति का निराकरण गुणदोष पर ही किया जा सकता है, जो कि प्रथमदृष्टया विधिसंगत है । अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	